

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा (मध्यप्रदेश)

// विविध आदेश //

क्रमांक 86 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 03/04/2025

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक-638/Confdl./2025/II-3-1/2025 जबलपुर दिनांक-27.03.2025 के द्वारा श्रीमती गीता उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज का स्थानांतरण अन्य जिला स्थापना हुआ है एवं उनके स्थान पर किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की पदस्थापना न होने तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक-642/Confdl./2025/II-3-1/2025 जबलपुर दिनांक-27.03.2025 के द्वारा श्री महादेव पटेल को द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज के पद पर नवीन पदस्थापना होने के फलस्वरूप सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा-24 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती गीता उईके प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज के न्यायालय में लंबित समस्त सिविल प्रकरणों को उनके न्यायालय से वापस लिया जाकर विधि अनुसार निराकरण हेतु श्री महादेव पटेल द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज की न्यायालय में अंतरित किये जाते हैं।

sd/-
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0 1642 /
/दो-15-3/90

रीवा, दिनांक 03/04/2025

प्रतिलिपि:-

1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मऊगंज
2. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड मऊगंज
3. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ मऊगंज
4. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)।
5. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0 की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने एवं संबंधित न्यायाधीशगण के ई-मेल में प्रेषित किये जाने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

[Signature]
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)